

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार रुपनगढ जिला-अजमेर

राजस्व मुकदमा नं.

04/2022

किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान

राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0हरमाडा

बनाम

शिवराज पुत्र रामेश्वर जाति जाट

निवासी हरमाडा

निर्णय

दिनांक:- 10.03.2022

पत्रावली पेश हुयी। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि अप्रार्थी ने ग्राम हरमाडा के आराजी खसरा नंबर 1387 किस्म गै0मु0रास्ता रकबा 0.2305 हैक्टर भूमि पर बाडा बनाकर कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया।

अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा हटाने हेतु निवेदन किया। अतः मामला निर्णित किया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम हरमाडा के आराजी खसरा नंबर 1387 किस्म गै0मु0रास्ता रकबा 0.2305 हैक्टर भूमि से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.07 का 50 गुणा 4/-रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश नंबर द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो।



वर्ष 2021-22 रा.ले.सं.प के पृष्ठ संख्या
16 पर त. 4 का मांग
कायमी की गई।
11/3/2022
तहसील राजस्व लेखाकार

(शिवराज पुत्र रामेश्वर जाति जाट)
तहसीलदार
रुपनगढ (अजमेर)